न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02 / 2020

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

नाथूलाल पुत्र खेमा जाति सहर निवासी–कागला बमोरी तहसील–किशनगंज(मृतक)
कायम मुकामान
1– छीतरलाल पुत्र नाथू जाति–सहर निवासी कागला बमोरी तहसील–किशनगंज
2– समुद्रा बाई पुत्री नाथू पत्नी कल्याण(मृतक) जाति–सहर निवासी–मॉगरोल
3– गुड्डीबाई पुत्री नाथू पत्नी प्रकाश जाति–सहर निवासी खेरपुर तहसील–
बडौदा जिला–श्योपुर (म0प्र0) (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम, 14(4) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 09.11.2020

1– प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रार्थनापत्र भू आवंटन नियम, 1970 की धारा–14(4) के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील कार्यालय किशनगंज में (DILRMP) योजना के अन्तर्गत समस्त ग्रामों की जमाबन्दियों का सेग्रिगेशन का कार्य चल रहा है उक्त कार्य को करने के दौरान ग्राम कागला बमोरी के आराजी ख0नं0 174 के रकबे का मिलान भू प्रबंध जमाबन्दी से नहीं हो रहा है जिसपर सहायक भू प्रबंध अधिकारी, कोटा द्वारा बदरात की पूर्ति(ग्राम का चक) को मिलान कर सहीं करने हेतु प्राप्त हुई है। ग्राम कागला बमोरी के ख0नं0 174 में उसके कुल रकबे से 10 बीघा भूमि अधिक आवंटन हो जाने से ग्राम का कुल रकबा गत के मुकाबले बढ़ गया है। अतः अप्रार्थी को कुल रकबे से अधिक हुये आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया है। अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं कर, बहस पेरोकार सरकार प्रार्थी सुनी गयी।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार का कथन है कि ग्राम कागला बमोरी में आराजी खसरा नम्बर 174 का गत भू प्रंबध विभाग मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2018–25 में रकबा 168 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है, जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में खसरा नम्बर 174 से बने से बने सभी खसरा नम्बरों का कुल रकबा 178 बीघा 10 ... जमाबन्दी में दर्ज है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 11:29:24 IST
Reason: SelfAttested

गत भू प्रबंध के मुकाबले 10 बीघा रकबा बेशी है। जमाबन्दी सम्वत् 2041–44 में आंवटन हो जाने से रकबा कम करना चाहिये था जो कम नहीं किया गया जो बदस्तूर बेशी चला आ रहा है। जिसके कारण खाता खसरा नम्बर 174 का रकबा 10 बीघा कुल रकबे से अधिक का आवंटन हो गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित रकबे की मौका व रेकार्ड से जॉच करने पर पाया कि ग्राम कागला बमोरी में दिनांक 15.12.1969 को नाथू वल्द खेमा सहर सा.देह को खसरा नम्बर 174 की 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी को मात्र दस्तावेज पर आवंटन किया गया है। आवंटी को ना तो मौके पर कब्जा सम्भलाया गया तथा ना हीं वर्तमान में कोई भूमि शेष है। आवंटी ने आवंटन की किसी भी शर्ते की पालना नहीं की है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान मौजूद है जिनका भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटी अप्रार्थी कभी भी सदभावी कृषक नहीं रहे है। अतः अप्रार्थी का आवंटन दिनांक 15.12.1969 निरस्त किया जावें ताकि गत जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी का रकबे का मिलान एवं सेग्रिगेशन का कार्य सम्पादित किया जा सके।

4– हमने विद्वान पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सम्वत् 2018–25 में ग्राम कागला बमोरी की आराजी ख0नं0 174 का कुल रकबा 168 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था जिसमें से कुल रकबा से अधिक 10 बीघा भूमि का अधिक आवंटन हो जाने से ग्राम का कुल रकबा गत रकबे के मुकाबले 10 बीघा बेशी दर्ज हो गया जो सम्वत् 2073–76 में भी खसरा नम्बर 174 से बने सभी खसरा नम्बरों में रकबा 178 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है, जो 10 बीघा बेशी है। जबकि नयी जमाबन्दी तैयार करते समय आवंटित रकबा कम करके लिखना चाहिये था। उक्त 10 बीघा का अन्तर बदस्तूदर चला आ रहा है जिससे जमाबन्दी व वर्तमान जमाबन्दी का मिलान नहीं हो रहा है। तहसीलदार किशनगंज द्वारा उक्त आवंटित रकबे के अन्तर का मिलान मौका व रेकार्ड से करने पर पाया है कि तत्समय आवंटी अप्रार्थी श्री नाथू वल्द खेमा सहर सा. देह को दिनांक 15.12.1969 को ग्राम कागला बमोरी तहसील किशनगंज की 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। आवंटी को आवंटित आराजी पर कभी दखल नहीं किया गया है तथा मौके पर आवंटी व उसके वारिसान् का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। चूकि आवंटी द्वारा आवंटन की किसी भी शर्ते की पालना नहीं की गयी है। आवंटी सदभावी कृषक नहीं रहा है तथा तहसीलदार किशनगंज से आवंटन निरस्तीकरण की सिफारिश की गयी है।

5– अतः प्रार्थी तहसीलदार, किशनगंज का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी नाथू वल्द खेमा सा.देह को ग्राम कागला बमोरी तहसील–किशनगंज मे किये गये भू आवंटन खसरा नम्बर 174 रकबा 10 बीघा आवंटन दिनांक 15.12.1969 को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 11:29:24 IST
Reason: SelfAttested